320

ई-मेल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद-1

संख्या:23-(चिकित्सा निर्देश)-2011 दिनॉक:मई 22/28 2014

सेवा में,

1. समस्त इकाई (पुलिस विभाग)
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ।

विषय:- सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के निस्तारण के संबंध में।

जनपद लखनऊ में पुलिस विभाग की कतिपय इकाईयॉ व्यवस्थापित है तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों जो जनपद लखनऊ से सेवानिवृत्त होकर जनपद लखनऊ स्थिति कोषागार से ही अपनी पेंशन आहरित कर रहे है, उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों स्वयं/उनके आश्रितों का अधिकाश: चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्रस्तुत किया जाता है। जिसके कारण उनके कार्यालय में कार्य की अधिकता बढ जाती है तथा स्वीकृति हेतु अनावश्यक बिलम्ब होता है और कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

2- उक्त संबंध में सेवानिवृत्त कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत होने में विलम्ब न हो को दृष्टिगत रखते हुये निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि सेवानिवृत्त कर्मी किसी भी इकाई से सेवानिवृत्त हुए हो तथा जनपद लखनऊ के कोषागार से पेंशन आहरित कर रहे हैं तो यथासम्भव अपना चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा अपने सेवानिवृत्त होने वाले इकाई के जनपद लखनऊ स्थिति किसी भी कार्यालय जहॉ कार्यालयाध्यक्ष नियुक्त है, में प्रस्तुत किया जाये, ताकि चिकित्सा दावो का निस्तारण तत्परता से किया जा सके तथा एक ही कार्यालय में कार्य की अधिकता भी न हो।

3- अतएव पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त कर्मी जो जनपद लखनऊ से अपनी पेंशन आहरित कर रहे है, द्वारा जनपद लखनऊ स्थिति किसी भी कार्यालयाध्यक्ष (पुलिस विभाग) के कार्यालय में अपना चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करते है तो चिकित्सा दावे का निस्तारण का उत्तरायित्व उस कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष का होगा।

4-. यहॉ यह भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से दावा प्रस्तुत करते समय इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि इसके पूर्व दावा प्रपत्र किसी अन्य कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रश्नगत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा प्रथम बार आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया जा रहा है, इसी प्रकार संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भी भुगतान के पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित कर्मी से प्राप्त कर लें कि प्रस्तुत चिकित्सा दावा का भुगतान उसके द्वारा पूर्व में प्राप्त नहीं किया गया है, ताकि दोहरे भुगतान की सम्भावना उत्पन्न न हो।

5- कृपया तद्नुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(शैलेश कुमार यादव)
अपर पुलिस अधीक्षक, भ0/क0
नि0 अपर पुलिस महानिदेशक, भ0/क0
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि 1- पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ को उनके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 18.4.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्ट, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।